चेतना चौधरी

बढ़ती जीडीपी: भारत की विकास गाथा

निजी उपभोग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 प्रतिशत है। यह देश की आर्थिक गति का आधार बना हुआ है। इसे बढ़ती प्रयोज्य आय, डिजिटल प्रणाली और एक आकांक्षी मध्यम वर्ग द्वारा बल मिल रहा है। विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17 प्रतिशत का योगदान देता है। इसे 2030 तक 25 प्रतिशत तक पहुँचाने की आकांक्षा है।

भारत मज़बूत आर्थिक विकास अनुभव कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत तक बढ़कर इसे दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। इस गति को रणनीतिक सुधारों, जनसांख्यिकीय जीवंतता और नीतिगत पहलों का समर्थन प्राप्त है। इन पहलों ने विकास के एक विशिष्ट इको-सिस्टम का निर्माण किया है। सरकार का 'विकसित भारत@2047' का विज़न आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास, सामाजिक उत्थान, पर्यावरणीय स्थिरता और सुदृढ़ शासन के स्तंभों के माध्यम से राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। यह निरंतर विकास की दिशा में भारत की आकांक्षाओं को दर्शाता है।

घरेलू उपभोग और जनसांख्यिकीय लाभांश: विकास का पोषक

भारत का विकास निजी उपभोग और इसकी युवा जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल के दोहरे इंजनों द्वारा संचालित है। निजी उपभोग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 प्रतिशत है। यह देश की आर्थिक वृद्धि का आधार बना हुआ है, जो बढ़ती प्रयोज्य आय, डिजिटल प्रणाली और एक आकांक्षी मध्यम वर्ग द्वारा संचालित है। डिजिटल क्रांति ने यूपीआई और ई-कॉमर्स जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से इस परिवर्तन को सशक्त किया है। इसने आधुनिक खुदरा कारोबार को टियर-2 और टियर-3 शहरों तक लाकर पहुंच के साथ-साथ समावेशन को व्यापक बनाया है। त्योहारी सीज़न के दौरान जीएसटी संग्रह लगातार उम्मीदों से अधिक होता है, जो लचीली घरेलू मांग को दर्शाता है। इस उपभोग की लहर के पूरक के रूप में, भारत का जनसांख्यिकीय लाभ विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बेजोड़ है। देश की 65 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है जिसकी मध्यक आयु 28 वर्ष है। कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 2047 तक 1 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। श्रम के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 2011 में 19.7 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 37 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि अधिक समावेशी कार्यबल का संकेत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहल रोज़गार क्षमता को बढ़ा रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत की

लेखिका राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर), दिल्ली, भारत में फेलो हैं। ईमेल : cchaudhuri@ncaer.org

युवा शक्ति उत्पादकता में परिवर्तित हो। स्टार्टअप उद्यमों की संख्या में तीव्र वृद्धि इसी ऊर्जा का उदाहरण है। देश में 1.9 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप उद्यमों के साथ भारत नवाचार में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसके विपरीत, चीन और जापान की आबादी तेज़ी से वृद्ध हो रही है। जापान में 29 प्रतिशत से ज़्यादा लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जबकि चीन में 2050 तक बुज़ुर्गों की संख्या 30 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। दोनों ही देश उच्च निर्भरता अनुपात के साथ कार्यशील आयु वर्ग की आबादी में कमी का अनुभव कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार सृजन में निरंतर निवेश के माध्यम से अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने और समावेशी विकास के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को मज़बूत करने की चुनौती भारत के सामने है।

निर्यात: वैश्विक बाज़ारों का प्रवेश द्वार

भारत के निर्यात में वृद्धि वैश्विक बाज़ारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है। सेवा क्षेत्र के निर्यात में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, जो 13.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा। पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात 374.1 अरब डॉलर तक पहुँच गया। हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में तेज़ी आई है। मेक इन इंडिया पहल और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के कारण संभव हुआ है। मोबाइल फोन इस वृद्धि में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। दवाइयों और इंजीनियरिंग वस्तुओं का प्रदर्शन लगातार मज़बूत बना हुआ है। इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका मज़बूत हुई है। अमेरिका और जापान से लेकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस तक, विविध गंतव्यों ने बाज़ार पर निर्भरता कम की है और लचीलापन बढ़ाया है।

हालाँकि, भारत की निर्यात वृद्धि को इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बाधाओं, बाज़ार में गहरी पैठ और बाज़ार के विविधीकरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उच्च वित्तीय लागत, तकनीक और गुणवत्ता में अंतर और कौशल में अंतर प्रतिस्पर्धात्मकता को और बाधित करते हैं। निर्यात वृद्धि को बनाए रखने और तेज़ करने के लिए निरंतर नवाचार, गुणवत्ता उन्नयन और मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण की आवश्यकता होगी। अनुसंधान एवं विकास में निवेश, मज़बूत अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में पहचान का निर्माण और निर्यात संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने से प्रतिस्पर्धात्मकता और बढ़ सकती है। नए भौगोलिक बाज़ारों की खोज और उभरती व विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गहरी साझेदारी के विस्तार के महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। अन्य विकासशील देशों से भिन्न, भारत विश्व बाज़ार में श्रम-प्रधान वस्तुओं की अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ा पाया है। रोज़गार सृजन के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है।

एक प्रमुख विचारणीय बिंदु ऊर्जा सुरक्षा है। आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता बनी हुई है। इसकी 88 प्रतिशत से अधिक आवश्यकताएँ आयात से पूरी होती हैं। वैश्विक बाज़ार में इसकी कीमतों की अस्थिरता हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कभी भी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। हमारे देश का घरेलू तेल उत्पादन लगभग 11.6 प्रतिशत पर सीमित है। नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, जैव ईंधन विकास और बेहतर घरेलू अन्वेषण के माध्यम से विविध ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है। साथ ही, दीर्घकालिक निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा भी मिल सकता है।

विनिर्माण और औद्योगिक बदलाव

विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17 प्रतिशत का योगदान देता है। इसे 2030 तक 25 प्रतिशत तक पहुँचाने की आकांक्षा है। मेक इन इंडिया पहल और पीएलआई योजनाओं के समर्थन से, इस क्षेत्र ने सकारात्मक गति प्रदर्शित की है। पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिससे भारत एक प्रतिस्पर्धी उत्पादन केंद्र बन गया है। विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी वृद्धि देखी गई है। औद्योगिक गलियारे, सेमीकंडक्टर पार्क और टेक्सटाइल क्लस्टर जैसी पहलों से क्षेत्रीय अवसरों का विस्तार हो रहा है और आपूर्ति-श्रृंखला क्षमताओं का निर्माण भी संभव हो रहा है।

हालाँकि, भारत का विनिर्माण क्षेत्र अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च ऊर्जा लागत और जटिल नियामक प्रक्रियाओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है जो निवेश को बाधित करती हैं। किफ़ायती वित्त तक सीमित पहुँच, कुशल श्रम की कमी और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने की धीमी रफ्तार से उत्पादकता और नवाचार में बाधा आती है। विनिर्माण संबंधी इको-सिस्टम को और भी अधिक मज़बूत करने के लिए, क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने, औद्योगिक केंद्रों से इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने जैसे सुधार करने तथा बड़े उद्योगों और एमएसएमई के बीच गहरे संबंधों को बढ़ावा देने की काफी गुंजाइश है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने और हरित विनिर्माण प्रणालियों को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि विकास ठोस और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हो, ताकि भारत भविष्य के लिए प्रतिस्पर्धी स्थिति में आ सकें।

जीएसटी और अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने कई करों को एक ही ढाँचे में एकीकृत करके भारत की कर प्रणाली को सरल बनाया है। इस पहल से एक निर्बाध राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण हुआ है। इसने कर संबंधी पारदर्शिता में सुधार किया है, लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ावा दिया है, कारोबारी सुगमता को बढ़ाया है और अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित किया है, साथ ही बेहतर अनुपालन के माध्यम से राजस्व संग्रह को भी मज़बूत किया है। एआई-आधारित ऑडिट, ई-इनवॉइसिंग और रिटर्न समाधान जैसे उपायों ने राजस्व स्थिरता और बेहतर अनुपालन को बढ़ावा दिया है।

भविष्य में, दरों को और अधिक युक्तिकरण, विभिन्न क्षेत्रों के कवरेज का विस्तार और निरंतर तकनीकी उन्नयन प्रणाली की प्रभावशीलता और पहुँच को बढ़ा सकते हैं। करदाता शिक्षा को मज़बूत करना और छोटे व्यवसायों के लिए लक्षित डिजिटल सहायता प्रदान करना औपचारिक अर्थव्यवस्था में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकता है और कर से लेकर जीडीपी तक सुधारों को और भी अधिक सशक्त कर सकता है।

सुधार एजेंडा: वित्त, श्रम और निवेश

सुधारों की गति से भारत का संस्थागत ढाँचा और मज़बूत हुआ है। इसमें बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाना और बाज़ार के विकास एवं गहनता के लिए जोखिम आधारित विनियमन को मज़बूत करना, श्रमिक सुरक्षा और उद्यम संबंधी सशक्तता के बीच संतुलन बनाने के लिए चार व्यापक संहिताओं के माध्यम से श्रम सुधार आदि शामिल हैं।

हितधारकों के परामर्श के आधार पर इन ढाँचों को परिष्कृत करना, शेष क्षेत्रीय कमियों को दूर करना और राज्यों में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना नीतिगत प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। वित्तीय नियामकों, श्रम बोर्डों और निवेश सुविधा एजेंसियों के लिए क्षमता-निर्माण के बल पर नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन और निवेशक अनुभव का समर्थन संभव हो सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक निवेश की गति

भारत के विकास पथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी पाइपलाइन में 33 क्षेत्रों में 185 लाख करोड़ रुपये की 13,000 से अधिक परियोजनाएँ शामिल हैं। पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 11 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। गतिशक्ति और भारतमाला के अंतर्गत परियोजनाएँ कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा रही हैं, जबकि समर्पित माल ढुलाई गलियारे और भारतनेट लॉजिस्टिक्स और डिजिटल पहुँच को बढ़ा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार और स्मार्ट सिटी पहल दीर्घकालिक रणनीतिक फ़ोकस को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ने ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों से मूल्य संवर्धन करके पर्याप्त राजस्व अर्जित किया है।

इससे भी आगे बढ़ते हुए, परियोजना निष्पादन समय-सीमा को सख़्त बनाकर, गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली में सुधार लाकर और पूर्ण हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर के नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करके सार्वजनिक निवेश पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में अंतिम दूरी तक कनेक्टिविटी को मज़बूत करके और इंटरमॉडल परिवहन संपर्कों को बढ़ाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभ सभी क्षेत्रों तक समान रूप से पहुँचें।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई): पूंजी से ज्ञान के हस्तांतरण तक

आर्थिक सुधारों, बाज़ार की संभावनाओं और नीति उदारीकरण के कारण पिछले एक दशक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में भी वृद्धि हुई है। सेवा, विनिर्माण, आईटी, दूरसंचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है। वित्तपोषण के अलावा, एफडीआई ने विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं में भी योगदान दिया है। विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल और डिजिटल सेवाओं में सहयोग ने उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा दिया है। भारत में विनिर्माण, दूरसंचार, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, कृषि गतिविधियाँ, खनन, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, ई-कॉमर्स और नवीकरणीय ऊर्जा सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत शत-प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के साथ एक उदार एफडीआई व्यवस्था है। अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़े हुए एफडीआई के प्रावधान उभरते क्षेत्रों के लिए खुलेपन को दर्शाते हैं।

हालाँकि, जटिल नियामक प्रक्रियाएँ, नौकरशाही से जुड़ी बाधाएँ और भूमि अधिग्रहण में देरी अक्सर निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान के प्रसार को गहरा करने के लिए, विदेशी और घरेलू फर्मों के बीच संबंधों को मज़बूत करने, संयुक्त अनुसंधान पहलों को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र-विशिष्ट प्रौद्योगिकी साझेदारी विकसित करने की क्षमता है। अनुसंधान एवं विकास को लेकर सहयोग को सुगम बनाने और उन्नत तकनीकों को अपनाने में भारतीय फर्मों का समर्थन करने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लाभ बढ़ सकते हैं।

हरित विकास और स्थायित्व

भारत के विकास को लेकर विज़न के साथ स्थायित्व को जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत की पंचामृत प्रतिबद्धताओं में 2030 तक 500 गीगावाट ग़ैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन शामिल है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार किया है और सौर ऊर्जा निर्माण तथा हरित हाइड्रोजन नवाचार में क्षमताएँ विकसित कर रहा है। निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना ऊर्जा-प्रधान उद्योगों में निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा दक्षता लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसके अंतर्गत अब तक 13 क्षेत्रों की 1,333 इकाइयाँ शामिल हैं। यह मापन योग्य ऊर्जा की बचत और उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दे रही हैं। रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापना के लिए सब्सिडी, कारगर उपकरणों के लिए रियायती वित्तपोषण और ऊर्जा लेबलिंग पहल जैसी योजनाएँ इस उद्देश्य का और समर्थन करती हैं।

आगे की राह: सतत् समावेशी विकास

भारत की विकास गाथा बढ़ते उपभोग, जनसांख्यिकीय लाभ, सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और डिजिटल परिवर्तन पर आधारित है। इस गति को बनाए रखने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से मानव पूंजी को सुदृढ़ करना, लचीले और समावेशी शहरों का निर्माण, विनिर्माण क्षमता का विस्तार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना आवश्यक है। नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, जलवायु-अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत् संसाधन प्रबंधन के माध्यम से विकास को पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी के साथ जोड़ना दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है। आगे बढ़ने के लिए विकास की गति को समावेशी विकास के साथ संतुलित करना और आधारभूत संस्थानों को मज़बूत करना आवश्यक है। सुधार और समावेशी विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। ❑

(सह-लेखक रक्तिमावा बोस और प्रोफ़ेसर संजीब पोहित (एनसीएईआर) दिल्ली में प्रोफ़ेसर हैं, दोनों ही राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् से संबद्ध हैं।)